CORPORATE OFFICE
Delhi Office
706 Ground Floor Dr. Mukherjee Nagar Near Batra Cinema Delhi – 110009
Noida Office
Basement C-32 Noida Sector-2 Uttar Pradesh 201301

CURRENT AFFAIRS

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

website : www.yojnaias.com
Contact No. : +91 8595390705

Date : 10 नवंबर 2022

चारा केंद्रित किसान उत्पादक संगठन

चारा केंद्रित किसान उत्पादक संगठन

संदर्भ- चारा केंद्रित किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने के लिए सरकार आगे बढ़ी।

मत्स्य पालन, **पशुपालन व डैयरी मंत्राल द्वारा चारे की कम को दूर करने के लिए चारा केंद्रीत किसान** उत्पादक संगठन स्थापित **करने के दो साल बाद सरकार ने डेयरी विकास बोर्ड को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है।** 2022-23 में ऐसे 100 एफपीओ का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस संगठन के निर्माण की मांग सर्वप्रथम 2020 में मत्स्य पालन, **पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने देश में चारे की कमी को दूर** करने के लिए की थी।

किसान उत्पादक संगठन क्या है?

- किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह होगा, स्वयं सहायता समूह की तर्ज पर काम करता है।
- यह समूह किसानों के हित के लिए कार्य करता है।
- **एफपीओ की सदस्यता लेने के लिए एफपीओ की नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन करने योग्य** होना चाहिए।
- एफपीओ के विकास के लिए इसके संचालकों, सदस्यों, प्रतिनिधियों, **कर्मचारियों के प्रशिक्षण की** पूर्ण व्यवस्था की जाती है।
- अब तक **अधिकांश किसान उत्पादक संगठन** महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, **कर्नाटक व मध्य प्रदेश** में स्थित हैं।

किसान उत्पादक संगठन के गठन की आवश्यकता

- **भारतीय कृषि में छोटे व सीमांत किसानों का वर्चस्व है। जिनकी औसत जोत का आकार** 1.1 हेक्टोयर से कम है।
- कुल भूमि जोत के 86% **किसानो को कृषि तकनीकि व उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण साजो सामान**, बीज, खेतों की मशीनरी इकाई, मूल्य वर्धित उत्पाद, **प्रसंस्करण**, ऋण, **निवेश आदि को प्राप्त करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना** पड़ता है।

लाभ-

- छोटे किसानो को सामूहिक रूप से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिससे जोत के आकार की समस्या को दूर कर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।
- रोजगार संबंधी समस्या के कुछ हद तक निदान होने की संभावना जताई जा रही है।
- बड़े उद्यमियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समूह के रूप में छोटे किसानो को सक्षम बनाता है।

- इसके द्वारा संगठन के निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करता है, इससे सामाजिक रूप से महिलाओं का विकास किया जा सकता है।
- जैविक खेती को आगे बढ़ाया जा सकता है।

एफपीओ के कार्य में चुनौतियाँ

- किसानों को एफपीओ से संबंद्ध करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जबकि व्यावसायिक अनुभव के बिना किसानों को सीधे कंपनी से संबंद्ध कर देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- एफपीओ स्थापित करने मात्र से समस्याओं का समाधाम संभाव नहीं है, इसके साथ साथ उत्पाद का प्रसंस्करण, एफपीओ प्रारंभ करने की सम्पूर्ण रणनीति, व्यवहार्य व्यापार योजना का पूरा रोडमैप बनाना अभी शेष है।
- एफपीओ को बढ़ावा देने वाले संगठनो का इतिहास जानना आवश्यक है, कि क्या वास्तव में ये संगठन सामुदायिक लामबंदी व व्यावसायिक कुशाग्रता दोनों में एक साथ बेहतर हों। इन संगठन के साथ नवनिर्मित एफपीओ, बाजार आढ़तिों व बिचौलिओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएगा।
- किसानो को क्रेडिट व लाइसेंस प्रदान करने में सक्षम बनाना। क्योंकि अधिकांश कृषि इनपुट किसानों को डीलरों द्वारा क्रेडिट पर बेचे जाते हैं।

एफपीसी क्या है?

- एक किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी), 10 या अधिक प्राथमिक उत्पादकों द्वारा या दो या अधिक प्राथमिक संस्थानों द्वारा, या दोनों के द्वारा मिलकर एफपीसी का गठन किया जा सकता है।
- एफपीसी, निजी सहकारी संगठनों व निजी कंपनियों दोनों के गुणों से युक्त होती है।
- भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक निर्माता या सदस्य के पास समान वोटिंग अधिकार होता है। चाहे सदस्यों की संख्या कितनी भी हो।
- कृषि विपणन में बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। एकत्रीकरण के माध्यम से किसान, प्राथमिक उत्पादक पैमाने का लाभ उठा सकते हैं। इसके द्वारा किसान थोक खरीददारों से अधिक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

एफपीओ के विकास के लिए योजनाएँ-

- **लघु कृषक कृषि व्यापार संघ** द्वारा 2011 से लगातार कृषि व एफपीओ को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, इसके तहत शेयर पूँजी अनुदान, ऋण गारंटी योजना, दिल्ली किसान मंडी व राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी योजनाएँ शुरु की गई।
- केंद्र सरकार ने 2019-20 में 6865 करोड़ रुपये के बजट से 2028-2029 तक देश में 10000 नए एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत की है।
- हाल ही में एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत से एफपीओ का महत्व बढ़ा है।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

गुंजन जोशी

महापाषाणकाल

महापाषाणकाल

संदर्भ- इतिहासकारों के अनुसार दक्षिणी कन्नड़ के कल्लेम्बी गांव में मिली गुफा महापाषाणकाल की हो सकती है।

- प्राचीन इतिहास व पुरातत्व में एसोसिएट प्रोफेसर टी मुदुगला के अनुसार हाल ही में कल्लेम्बी गांव में मिली गुफा में प्राप्त अवशेषों जैसे मिट्टी के बर्तनों से इनके महापाषाणकालीन होने क संकेत मिलते हैं।
- प्रोफेसर के अनुसार ये बर्तन, मुदुकोनाजे के कब्र के बर्तन, हेगडेहल्ली व सिद्दलिंगपुरा के बर्तनों से मिलते जुलते हैं। तथा निर्माण व शैली के अनुसार वे केरल के मेगालिथिक कब्र के समान हैं।
- लाल मिट्टी के बर्तन में रागी की भूसी जैसे अवशेष भी मिले हैं।

महापाषाणकाल-

- महापाषाणकाल शब्द का प्रयोग विशाल पत्थरों से युक्त समय के लिए किया जा सकता है।
- इतिहास में महापाषाण काल उस विशिष्ट समय के लिए प्रयुक्त किया जाता है जब भारत में विशाल पत्थर युक्त कब्रों की संस्कृति हुआ करती थी।
- इस संस्कृति को 3000 ईपू. से 200 ई. तक अर्थात नवपाषाणकाल से ऐतिहासिक काल तक माना जाता है।
- महापाषाणकालीन संस्कृति के लोग मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए विशाल पत्थरों के अवशेषों को ढक देते थे। भारत के कई राज्यों के साथ विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में महापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं।
- दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरि, मास्की, पुदुकोट्टै, चिंगलपुत्त, शानूर आदि से महापाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं।

महापाषाणकालीन स्थलों से प्राप्त अवशेष-

- लोहे के औजार- महापाषाण संस्कृति में लोहे के कई प्रकार के उपकरण पाए गए हैं जैसे- बर्तन, हथियार जैसे तलवार, भाला, चाकू, बढ़ईगिरी के उपकरण आदि।
- जानवरों के अवशेष- महापाषाणकालीन जानवरों के अवशेषों से कहा जा सकता है कि उस समय मानव पशुपालन किया करता था। इन पशुओं में घोड़े, बकरी, भेड़, कुत्ता व सुअर था।
- मिट्टी के बर्तन-लाल काले मृदभांड, शंक्काकार बर्तन, पेटलस्टर वाले कटोरे, टोंटीदार व्यंजन आदि।

महापाषाणकालीन शवाधानों के प्रकार-

- **मेन्हिर** अलग अलग खड़े पत्थरों के रूप में पत्थरों की एक श्रृंखला बनाती हैं। यह शावाधान में शव को गाड़कर उसके ऊपर एक बड़ा स्तंभाकार पत्थर लगा दिया जाता था। इस प्रकार की समाधियाँ कर्नाटक के मस्की व गुलबर्ग क्षेत्र में पाई गई हैं।

- **डोलमेन या ताबूत** टेबल के रूप में होती है जो दो बड़े पत्थरों के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाई जाती है। इसमें शव को दफनाकर छोटे छोटे पत्थरों से घेर दिया जाता था और इनके ऊपर एक पत्थर की सिल्ली रख दी जाती थी। इस प्रकार की समाधि उत्तर प्रदेश के बाँदा व मिर्जापुर में मिलती हैं। 1995 में हेगडेहल्ली में 11 डोलमेन स्थलों की खुदायी की गई।
- **संगौरा वृत** में पहले शव को लोहे के औजार, कलश, पालतू जानवरों की हड्डियों के साथ दफनाया जाता था। और समाधि को गोल पत्थरों से जड़ दिया जाता था। इस प्रकार की गोल समाधि बोरगाँव(महाराष्ट्र) व चिंगलपुत्त(तमिलनाडु) में मिलती हैं।

महापाषाणकालीन अवशेषों का महत्व-

- इस प्रकार की खोजें भारत के इतिहास को समृद्ध करने में सहायक होती है।
- भारत की संस्कृति व सभ्यता के विभिन्न पक्षों का ज्ञान होता है।
- अब तक हुई खोजों से ज्ञात होता है कि लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग इसी काल से होना प्रारंभ हुआ था। हल्लूर व पिकलीहल के शवाधानों से लोहे के साक्ष्य मिलते हैं।

गुंजन जोशी

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com